# अध्याय III: संघ शासित क्षेत्र
# (राजस्व क्षेत्र)

## चंडीगढ़

### 3.1 कम दर पर मूल्य वर्धित कर का निर्धारण

**उत्पादशुल्क और कराधाल विभाग के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उच्च दर पर मोबाइल चार्जरों के बिक्रेताओं के पुर्न-निर्धारण करने में विफलता के कारणवश ₹9.69 लाख का कम उदग्रहण हुआ था।**

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिसम्बर 2014[1] में निर्णय लिया कि मोबाइल सेल फोन चार्जर मोबाइलों से अलग मद हैं और इसलिए मोबाइलों पर लागू 4 से 5 प्रतिशत की दर की बजाए 12.5 प्रतिशत का मूल्य वर्धित कर (वेट) कर उन पर लगेगा। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, चण्डीगढ़ इस मामले में पार्टी नहीं थी।

2007 और 2013 की अलग-अलग अवधियों के लिए यूटी चण्डीगढ़ के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग (सितम्बर 2015 और दिसम्बर 2015) के अंतर्गत दो वार्डों के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की दृष्टि में उच्च दर पर मोबाइल चार्जरों के डीलरों का पुर्न-निर्धारण करने में विभाग विफल रहा था। केवल सीमित लेखापरीक्षा संवीक्षा से ₹9.69 लाख के कम उदग्रहण का पता चला।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुसरण करते हुए, लेखापरीक्षा नमूना जांच में पहचाने गए दो विक्रेताओं के संदर्भ में विभाग ने पुर्न-निर्धारण किया और ₹16.02 लाख की अतिरिक्त मांग की थी। चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र में

[1] 2014की सिविल अपील सं. 11486-11487: पंजाब राज्य एवं अन्य (अपीलकर्त्ता) बनाम नोकया इंडिया प्राइवेट लिमि. (प्रतिवादी)

शेष विक्रेताओं के संदर्भ में इसी प्रकार के पुर्न-निर्धारण और मांग के विवरण प्रतीक्षित है।

मामले को जुलाई 2016 में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली और वित्त सचिव, चण्डीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र को प्रेषित किया गया था। उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2017)।

## दादर एवं नागर हवेली

### 3.2 देर से वैट रिटर्न फाईल करने पर जुर्माने का उद्ग्रहण न किया जाना

**रिटर्न की देर से फाईल करने पर जुर्माना आरोपित करने में दादर एवं नागर हवेली के वैट विभाग की विफलता, जुर्माने के कर-वसूली में परिणत हुई, जिसमें से, ₹21.79 लाख लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूला गया था।.**

दादर एवं नागर हवेली मूल्य वर्जित कर नियम 2005 (नियम की धाराएं 26 एवं 86(8) के अनुसार, कोई भी पंजीकृत व्यापारी जो कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है निर्धारित तिथियों पर ऐसा करने में विफलरहता है, वह प्रत्येक दिन की गलती के लिए ₹100 का जुर्माना या कुल ₹10,000 जो भी कम है, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

कार्यालय उप आयुक्त (वैट), दादर एवं नागर हवेली, सिलवासा में अवधि 2014-15 तथा 2015-16 के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि 141 पंजीकृत व्यापारियों निर्धारित तिथियों यथा अगले माह की 28 को रिटर्न फाईल नहीं किया था, लेकिन विभाग ने कोई जुर्माना नहीं लगाया था। लेखापरीक्षा ने आकलित किया कि ₹52.18 लाख 141 इन व्यापारियों से ही संग्रह किये जाने हेतु उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के फलस्वरूप विभाग ने सूचित किया (अप्रैल तथा अगस्त 2016) कि ₹52.18 लाख की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया था, जिसके कारण ₹21.79 लाख वसूल लिया गया है तथा शेष जुर्माना शीघ्र ही वसूल लिया जायेगा।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि लेखापरीक्षा ने 6,806 व्यापारियों में से 250 व्यापारी (लगभग) से संबंधित केवल दो वर्षों के अभिलेखों का ही नमूना जांच का संचालन किया गया था। यद्यपि विभाग एक कम्प्यूटराईजड़ कर डाटाबेस[2] का संचालन करता है परंतु मांग किए जाने के बाबजूद इसने लेखापरीक्षा को डाटाबेस की सूचना उपलब्ध नहीं कराई या अभिलेखों की हार्ड/सॉफ्ट कॉपियाँ उपलब्ध नहीं करायी। विभाग को इसलिए विलंब से फाईल किए गए रिटर्न के खाते पर जुर्माने का मूल्यांकन तथा संग्रहण के लिए नियम द्वारा आवृत्त सभी सभी पंजीकृत व्यापारियों के संबंध में सत्यापन करना अनिवार्य था, तथा लेखापरीक्षा में दर्शायी गयी केवल इन मामलों की सीमित वसूली की नहीं।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ जुलाई 2016 में गृह मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

## दमन एवं दीव

### 3.3 शहरी क्षेत्रों में भूमि राजस्व की वसूली न होना

**ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अपनाए गए तरीकों पर शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि राजस्व को निर्धारित करने में दमन प्रशासन की विफलता के परिणामस्वरूप 15 वर्षों से ₹3.44 करोड़ की वसूली नहीं हुई थी।**

गोवा, दमन एवं दीव (डीएंडडी) भूमि राजस्व कोड, 1968, का अध्याय-VII गैर-कृषीय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भूमियों के भूमि राजस्व के निर्धारण एवं निपटान के लिए प्रावधान करता है। कोड धारा 87 निर्धारित करता है कि सरकार[3] के अनुमोदन के साथ कलेक्टर शहरी क्षेत्र में गैर कृषि

[2] वाणिजयिक कर मिशन मोड कार्यक्रम (सीटी-एमएमपी) तथा पंजीकरण ई-रिटर्न, ई-भुगतान इत्यादि से संबंधित मोड़यूल ।

[3] इस मामले में दमन एवं दीव और दादरा एवं नागर हवेली के संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासक

आकलन (एनएए) की मानक दर निर्धारित करता है। इन प्रावधानों के अनुसार, कलेक्टर, दमन ने पहली बार दमन के शहरी क्षेत्र में एनएए निर्धारित किया (मई 2001)। हालांकि, सार्वजनिक विरोध का सामना करते हुए, प्रशासक ने आदेश पर रोक लगाई (नवम्बर 2002) और कलेक्टर को एक माह में संशोधित अधिसूचना प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

यद्यपि जून 2006 में लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और प्रशासक ने भी आदेश दिया (अगस्त 2009) कि एनएए के पुनर्निर्धारण तथा दो हफ्ते में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति बनाई जाए, ऐसा आज तक नहीं किया गया है (अक्तूबर 2016)। लेखापरीक्षा ने आगे पाया की दमन के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि भूमियां एनएए[4] में शामिल है। लेखापरीक्षा ने अनुमान लगाया कि वास्तविक रूप से अधिसूचित दरों पर दमन के शहरी क्षेत्रों में भूमि राजस्व की गैर-वसूली के कारणवश 2002-03 से लेकर आज तक (अक्तूबर 2016) की अवधि के लिए ₹3.44 करोड़ की हानि हुई थी।

यह लेखापरीक्षा पैराग्राफ गृह मंत्रालय को जुलाई 2016 में भेजा गया था। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2017)।

[4] श्रेणी I श्रेणी II के गांवों के लिए क्रमश: प्रति मी.$^2$ पैसा और एक पैसा प्रति मी.$^2$ ये दरें मई 2001 में निर्धारित की गई थीं और बाद में संशोधित नहीं की गई हैं।